FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्डावर (दौसा)

धन्नीराम बनाम डुण्डराम

किस्म मुकदमा – T.E नंबर 75/23 सन...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब… अहक… की …
	25.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली कियागया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद (दावा) के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/23	12.12.23	24.12.24

बउनवान

1. धनीराम पुत्र श्रीराम जाति मीना निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. टुण्डाराम पुत्र स्व. घूडमल निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. धन्नाराम पुत्र स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. पप्याराम पुत्र स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. हरिया पुत्र स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
5. छुट्टन नाथ पुत्र स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
6. गुलाब पत्नी स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
7. गुड्डी पुत्री स्व. घूडमल निवासी निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
8. उपपंजीयक बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थितः श्री शिवदत्त जैमिनी, अधिवक्ता प्रार्थी।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 411 के खसरा नंबर 1929 रकबा 0.02 हेक्टे., 2671/1924 रकबा 0.13 हेक्टे., 2673/1925 रकबा 0.09 हेक्टे., 2675/1926 रकबा 0.12 हेक्टे., 2677/1928 रकबा 0. 34 हेक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 0.70 हेक्टे. कृषि भूमि वाके ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा (राज.) में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 की संयुक्त काश्त की कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा बाहमी तौर से बंटवारा कर रखा है। इसलिये विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के पिता व पति घूडमल फौत हो गया है जिसके अप्रार्थीगण विधिक वारिस हैं। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है जिसको प्रार्थी ने रानी पत्नि श्री किशना जाति जोगी निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2023 को क्रय किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1447 दिनांक 30.11.2023 को खुला जो जमाबन्दी संवत 2074–2077 में दर्ज रिकोर्ड है। अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा जमीन को हडपना चाहते हैं, प्रार्थी को अपनी जमीन से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को क्रय किया है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त क्रय की गयी भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी उक्त भूमि सड़क के किनारे पर स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की डोलमेड तोडते रहते हैं तथा आये दिन परेशान करते रहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से तकास्मा बाबत कहा पर अप्रार्थीगण ने तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया। दिनांक 06.12.23 को प्रार्थी अपने खेत पर गया तो अप्रार्थीगण ने जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी के क्रयशुदा हिस्से वाले खेत पर पत्थर, बजरी डाल दिये। प्रार्थी ने निवेदन किया कि यह खेत मैने क्रय किया है, आप मुझे मेरे खेत से बेदखल कैसे कर सकते हो, यह वर्तमान में मेरे कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि या तो तुम इस खेत को हमारे नाम करवा दो अन्यथा हम तुम्हारी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देगें। यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त कुचेष्ठा में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्मत नहीं होगी। विनाय प्रार्थना पत्र एवं विनाय मुखास्मत दिनांक 06.12.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की हिस्से की आराजी कृषि भूमि में जबरदस्ती पत्थर, बजरी डालकर निर्माण करने की ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न हुई है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किये जाने से प्रार्थी को क्षति होगी जिसकी पूर्ति उन्हें किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वो प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, पत्थर बजरी डालकर जबरदस्ती कब्जा नहीं करें, मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, पत्थर बजरी डालकर जबरदस्ती कब्जा नहीं करें, मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस प्रार्थी अभिभाषक पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी व्यादेश को निर्णित किये जाने के लिए विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है जिसको प्रार्थी ने विवादित आराजीयात की पूर्व सह खातेदार रानी पत्नि श्री किशना जाति जोगी निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा से, जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.23 को, क्रय किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1447 दिनांक 30.11.2023 को खुला। प्रार्थी विवादित आराजीयात का सह खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया गया। प्रार्थी का उक्त खरीद के आधार पर पूर्व सह खातेदार रानी पत्नि श्री किशना के हिस्से पर काबिज होना उचित है और उसको वाद लम्बित रहने तक इस हिस्से से बेदखल किया जाना उचित नहीं है, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को यदि अप्रार्थीगण 01 से 07 के द्वारा उसके कब्जे से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया स्वीकार किया जाना तथा अप्रार्थीगण 01 से 07 के विरुद्ध सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के बेचान बाबत कोई सम्भावना व्यक्त नहीं की गई है और ना ही बेचान बाबत किसी तरह की चेतावनी अप्रार्थीगण द्वारा दी गई है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिये अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण 01 लगायत 07 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण 01 लगायत 07, इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र के निर्णीत होने तक, विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1929, 2671/1924, 2673/1925 ,2675/1926, 2677/1928 कुल किता 5 रकबा 0.70 हेक्टे.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें, पत्थर बजरी डालकर जबरदस्ती कब्जा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)